न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारीः सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

रेफरेन्स प्रकरण संख्या : 04/2022

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नांगल राजावतान

प्रार्थी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र प्रभुदयाल
2. कौशल्या पुत्री प्रभुदयाल
3. तारा पुत्री प्रभुदयाल

जाति ब्राह्मण निवासी अभयपुरा तहसील नांगल राजातवान जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

<u>रेफरेन्स अर्न्तगत धारा 82 राज0 भू–राजस्व अधिनियम 1956 सहपठित धारा 232 आरटीए</u>

उपस्थिति : राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।
: अप्रार्थीगण बहस के दौरान अनुपस्थित।

<u>:–निर्णयः–</u>

दिनांकः 23.09.2024

संक्षिप्त मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार(भूमिधारी) तहसील नांगल राजावतान ने प्रतिनिधि राजस्थान सरकार की हैसियत से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2004 की अनुपालना में यह रेफरेन्स इस न्यायालय में पेश किया है।

रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। अप्रार्थी को जरिये रजिस्टर्ड नोटिस तलब किया गया। जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 उपस्थित आया। शेष अप्रार्थीगण उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा भी कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया ओर ना ही बहस के दौरान उपस्थित हुए। बहस राजकीय अधिवक्ता सुनी गई।

बहस के दौरान राजकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र रेफरेन्स के तथ्य दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम अभयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 1 बीघा संवत 2003 में किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन नला बने। भूमि बन्दोबस्त अभिलेख 2041–2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा से खसरा नम्बर 534 रकबा 0.22 है. बन गये। उक्त भूमि खसरा न[illegible] रकबा 0.22 है. भूमि आवंटन कमेटी की सिफारिश दिनांक 19.05.1989 क[illegible]तरकरण संख्या 17 दिनांक 04.09.1990 अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदयाल पुत्र [illegible]लाल जाति ब्राहमण सा. देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई। जमाबन्दी सम्वत 2[illegible]3–76 में उक्त भूमि प्रभुदयाल पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नला की भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:40 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

दर्ज रिकार्ड रही है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका सं. 1536/2003 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 2.8.2004 से राज्य सरकार को ऐसे प्रकरणों को निरस्त कर ऐसी जलोद गैर मुमकिन भूमियों को पुनः पूर्वानुसार दर्ज करने के निर्देश प्रदान किये है। अतः तहसीलदार नांगल राजावतान द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स प्रकरण स्वीकार फरमावे।

बहस राजकीय अधिवक्ता पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट है कि ग्राम अभयपुरा तहसील दौसा हाल तहसील नांगल राजावतान स्थित भूमि खसरा नम्बर 539 रकबा 1 बीघा संवत 2003 में किस्म गैर मुमकिन नला दर्ज रिकार्ड थी। भूमि एकीकरण सम्वत 2018 में उक्त भूमि के परिवर्तित खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा गैर मुमकिन नला बने। भूमि बन्दोबस्त अभिलेख 2041—2060 की संक्रिया में उक्त खसरा नम्बर 142 रकबा 1 बीघा से खसरा नम्बर 534 रकबा 0.22 है. बन गये। उक्त भूमि खसरा नम्बर 534 रकबा 0.22 है. भूमि आवंटन कमेटी की सिफारिश दिनांक 19.05.1989 के द्वारा आवंटन की जाकर जरिये नामान्तरकरण संख्या 17 दिनांक 04.09.1990 अप्रार्थीगण के पिता प्रभुदयाल पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण सा. देह के नाम गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई। जमाबन्दी सम्वत 2073—76 में उक्त भूमि प्रभुदयाल पुत्र भौरीलाल जाति ब्राह्मण सा. देह गैर खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त भूमि पूर्व में गैर मुमकिन नला की भूमि दर्ज रिकार्ड रही है। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से राजकीय अधिवक्ता के कथनों की पुष्टि होती है कि विवादग्रस्त आराजी पूर्व में गैर मुमकिन नला की भूमि दर्ज रिकॉर्ड रही है। ऐसी स्थिति में प्रकरण राजस्व मण्डल को रेफर किया जाना उचित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र रेफरेन्स स्वीकार किया जाता है। विवादग्रस्त आराजी की पूर्व स्थिति कायम किये जाने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को पेश करने हेतु मूल पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाकर निर्देशित किया जाता है कि राजकीय अभिभाषक न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से सम्पर्क कर प्रकरण न्यायालय में दर्ज करवावें एवं प्रकरण में समय पर समुचित पैरवी करना सुनिश्चित करें। पत्रावली तहसीलदार नांगल राजावतान को भिजवाई जावे व फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

निर्णय आज दिनांक 23.09.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया।

(सुमित्रा पारीक)
अति0 जिला कलक्टर दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.01.22 18:24:40 IST
Reason: SelfAttested